International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

**Original Article**

# वाणिज्यिक बैंक एवं कृषि ऋण: रोहतास जिले के करगहर प्रखंड का एक अध्ययन

**डॉ. कौशल कुमार**

*विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,*

*राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, औरंगाबाद, बिहार*

*(मगध विश्वविद्यालय, बोधगया)*

**Manuscript ID:** IJAAR-130625
**ISSN: 2347-7075**
**Impact Factor – 8.141**

**Volume - 13**
**Issue - 6**
**July – August 2026**
**Pp. 181 - 193**

**Submitted:** 06 August 2026
**Revised:** 21 August 2026
**Accepted:** 25 August 2026
**Published:** 31 August 2026

***Corresponding Author:***
***डॉ. कौशल कुमार***

Quick Response Code:

**Website:** https://ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.22896034

DOI Link:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22896034

***सारांश:***

*बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है, इसलिए संस्थागत कृषि ऋण यहाँ विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के संदर्भ में कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। आँकड़े राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) बिहार, नाबार्ड की संभाव्यता युक्त ऋण योजना (PLP), बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना 2011 से लिए गए हैं। विश्लेषण में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), लक्ष्य और उपलब्धि का अनुपात तथा बैंक-समूहवार हिस्सेदारी का प्रयोग किया गया है।*

*2010-11 से 2013-14 के बीच बिहार में कृषि ऋण प्रवाह 39.20 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा, जबकि 2018-19 में कृषि लक्ष्य की उपलब्धि 70.7 प्रतिशत रही। 2021-22 में राज्य की कुल वार्षिक ऋण योजना (ACP) उपलब्धि का 77.35 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक बैंकों से आया, पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि लक्ष्य की उपलब्धि में यही बैंक समूह सबसे पीछे था। रोहतास जिले की ACP उपलब्धि 2021-22 में 90.26 प्रतिशत रही, जो राज्य औसत 99.59 प्रतिशत से कम है। करगहर प्रखंड में 76.22 प्रतिशत कामगार खेती से जुड़े हैं, जबकि 2011 में केवल 6.06 प्रतिशत बसे हुए गाँवों में बैंक या कृषि ऋण समिति उपलब्ध थी। प्रखंड की कुल सूचीबद्ध कृषि ऋण संभाव्यता में फसल ऋण का हिस्सा 86.92 प्रतिशत है, जिससे पता चलता है कि यहाँ ऋण की माँग मुख्य रूप से अल्पकालिक और धान पर केंद्रित है।*

*अध्ययन के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार, बटाईदार और भूमिहीन किसानों के लिए वैकल्पिक जमानत व्यवस्था तथा निवेश ऋण पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है।*

***मुख्य शब्द : वाणिज्यिक बैंक, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, वार्षिक ऋण योजना, ऋण-जमा अनुपात, करगहर, रोहतास***

Creative Commons

OPEN ACCESS

***Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)***
***This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0),*** *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

***How to cite this article:***
*डॉ. कौशल कुमार. (2026). वाणिज्यिक बैंक एवं कृषि ऋण: रोहतास जिले के करगहर प्रखंड का एक अध्ययन. International Journal of Advance and Applied Research, 13(6), 181 – 193.* https://doi.org/ 10.5281/zenodo.22896034

**International Journal of Advance and Applied Research**
**Peer Reviewed | International Open Access Journal**
**ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/***
***Volume-13, Issue-6 | July – August 2026***

**प्रस्तावना:**

भारतीय खेती में ऋण की समस्या पुरानी है। स्वतंत्रता से पहले किसान का काम मुख्य रूप से महाजन और साहूकार के कर्ज से चलता था। ज्यादा ब्याज, गिरवी रखी जमीन और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला कर्ज उस समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान थी। स्वतंत्रता के बाद सहकारी समिति को ग्रामीण ऋण का मुख्य आधार बनाया गया, पर उससे जितनी उम्मीद थी, उतना लाभ नहीं मिला।

1969 में बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति बदलने लगी। ग्रामीण शाखा विस्तार, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और अग्रणी बैंक योजना के कारण वाणिज्यिक बैंक गाँवों तक पहुँचे। बर्गेस और पांडे (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बैंक नहीं थे, वहाँ शाखा खुलने के बाद ग्रामीण गरीबी में कमी दर्ज हुई। यानी ग्रामीण बैंक का महत्व केवल लेन-देन तक सीमित नहीं है।

आज कृषि ऋण की व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक तीनों काम करते हैं, लेकिन संस्थागत ऋण का सबसे बड़ा भाग वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जाता है। 1998-99 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से फसल ऋण लेना आसान हुआ। ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत ₹3 लाख तक का ऋण किसान को 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर मिलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से बिना जमानत कृषि ऋण की सीमा ₹2 लाख प्रति ऋणी कर दी है (पत्र सूचना कार्यालय, 2024)। नीति का ढाँचा उदार है। असली प्रश्न यह है कि इसका लाभ खेत और किसान तक कितना पहुँचता है।

बिहार में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है और ज़्यादातर जोत सीमांत है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में लगभग 164 लाख क्रियाशील जोत हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक हैं (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, 2019)। दूसरी ओर राज्य का बैंकिंग ढाँचा अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। 2019 में देश की बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.9 प्रतिशत था, जबकि देश की जनसंख्या में उसका हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। 2018-19 में देश की कुल बैंक जमा में बिहार का हिस्सा 2.8 प्रतिशत और कुल बैंक ऋण में केवल 1.2 प्रतिशत था (बिहार सरकार, 2020)। राज्य से जितनी जमा जुटती है, उसके अनुपात में ऋण राज्य में वापस नहीं आता।

रोहतास जिला सोन नहर प्रणाली के कारण राज्य के अपेक्षाकृत सिंचित और उत्पादक जिलों में गिना जाता है और इसे प्रायः "धान का कटोरा" कहा जाता है। 2011 की जनगणना में जिले की साक्षरता दर 73.37 प्रतिशत थी, जो राज्य में सबसे अधिक थी। इसी जिले का करगहर प्रखंड खेती पर आधारित क्षेत्र है, जहाँ धान और गेहूँ जीविका का मुख्य आधार हैं। यह शोध-पत्र यह समझने का प्रयास करता है कि ऐसे प्रखंड में वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण की ज़रूरत को किस हद तक पूरा कर रहे हैं, और राज्य तथा जिले की प्रवृत्तियाँ करगहर की ऋण स्थिति के बारे में क्या बताती हैं।

**साहित्य समीक्षा:**

कृषि ऋण और कृषि उत्पादन के संबंध पर भारत में काफी काम हुआ है। दास, सेनापति और जॉन (2009) ने राज्य स्तर के आँकड़ों से पाया कि प्रत्यक्ष कृषि ऋण का कृषि उत्पादन पर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव पड़ता है, हालाँकि यह प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देता है। यानी समय पर और पर्याप्त ऋण उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पर यह ऋण किसे और किन क्षेत्रों में मिलता है, इस पर कई अध्ययनों ने चिंता जताई है।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
*Volume-13, Issue-6 | July – August 2026*

पहुँच के प्रश्न पर मोहन (2006) ने लिखा कि संस्थागत ऋण के विस्तार के बाद भी ग्रामीण परिवार की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता खत्म नहीं हुई है। उन्होंने ऋण वितरण व्यवस्था और सहकारी ढाँचे में सुधार की ज़रूरत बताई। गोलाइत (2007) का निष्कर्ष भी इसी दिशा में है कि छोटे और सीमांत किसान तक ऋण पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता और ऋण का बड़ा भाग अपेक्षाकृत बड़े किसानों तथा विकसित क्षेत्रों को मिलता है। रामचंद्रन और स्वामीनाथन (2005) ने वित्तीय उदारीकरण के बाद ग्रामीण शाखाओं की संख्या घटने और उसके ग्रामीण ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया।

क्षेत्रीय असमानता इस बहस का दूसरा पहलू है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2019) के अनुसार पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाला कृषि ऋण उनकी कृषि भूमि और किसानों की संख्या की तुलना में कम है, और कुल कृषि ऋण में अल्पकालिक फसल ऋण का हिस्सा अधिक है। KCC योजना के मूल्यांकन में कुमार एवं अन्य (2011) ने पाया कि योजना से ऋण प्रक्रिया सरल हुई, पर अलग-अलग राज्यों में इसका प्रसार एक समान नहीं रहा।

बिहार के संदर्भ में बनर्जी एवं अन्य (2012) का जिला स्तरीय अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी है। उनके अनुसार राज्य का ऋण-जमा अनुपात बहुत नीचे रहा और जिलों की प्रति व्यक्ति आय पर कुल ऋण-जमा अनुपात का प्रभाव नगण्य पाया गया। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण और KCC का प्रति व्यक्ति आय से सकारात्मक और सार्थक संबंध मिला। इसी अध्ययन में 2008-10 के दौरान रोहतास जिला 35 से 40 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात वाली श्रेणी में था, और 2008 से 2011 के बीच जिले के इस अनुपात की वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत रही।

इन अध्ययनों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की तस्वीर तो मिलती है, पर प्रखंड स्तर का विश्लेषण कम है। उपलब्ध साहित्य और प्राप्त स्रोतों की समीक्षा में करगहर प्रखंड में वाणिज्यिक बैंक और कृषि ऋण पर केंद्रित कोई प्रकाशित अध्ययन नहीं मिला। यह शोध-पत्र इसी कमी को आंशिक रूप से पूरा करने का प्रयास है।

**उद्देश्य एवं शोध-पद्धति:**

इस अध्ययन के चार उद्देश्य हैं:

1. बिहार में कृषि ऋण प्रवाह की प्रवृत्ति और वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि का विश्लेषण करना।
2. कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक की तुलनात्मक भूमिका का आकलन करना।
3. रोहतास जिले और करगहर प्रखंड की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा कृषि ऋण संभाव्यता का अध्ययन करना।
4. कृषि ऋण की प्रमुख बाधाओं को पहचानकर नीतिगत सुझाव देना।

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। आँकड़े SLBC बिहार की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त (40वीं, 48वीं, 63वीं, 81वीं तथा 88वीं और 89वीं संयुक्त बैठक), बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 और 2024-25, नाबार्ड की रोहतास जिले की संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2019-20, नाबार्ड का राज्य फोकस पेपर, जनगणना 2011 की रोहतास

जिला जनगणना पुस्तिका तथा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नीति दस्तावेज़ से लिए गए हैं।

विश्लेषण में प्रतिशत, हिस्सेदारी, लक्ष्य और उपलब्धि का अनुपात तथा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग किया गया है। CAGR की गणना इस सूत्र से की गई है :

$$CAGR = [(\text{अंतिम वर्ष का मान} \div \text{आरंभिक वर्ष का मान})^\wedge(1/n) - 1] \times 100$$

जहाँ n वर्षों का अंतराल है।

हर तालिका में घटकों का योग कुल से और प्रकाशित प्रतिशत पुनर्गणना से मिलाया गया है। प्रखंड स्तर पर नाबार्ड की ऋण संभाव्यता को ऋण की माँग का विवरण माना गया है, और राज्य तथा जिले की प्रवृत्ति के आधार पर प्रखंड की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

**अध्ययन क्षेत्र : करगहर प्रखंड:**

करगहर प्रखंड रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल में है। प्रखंड में 257 राजस्व गाँव हैं, जिनमें 198 बसे हुए और 59 गैर-आबाद हैं (भारत की जनगणना, 2011)। 2011 में प्रखंड की जनसंख्या 2,25,082 थी, जो जिले की कुल जनसंख्या 29,59,918 का लगभग 7.6 प्रतिशत है। प्रखंड की मुख्य विशेषताएँ तालिका 1 में दी गई हैं।

**तालिका 1: करगहर प्रखंड की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा (2011)**

| **चर** | **विवरण** | **मान** |
|---|---|---|
| **प्रशासनिक** | कुल राजस्व गाँव | 257 |
| | बसे हुए गाँव | 198 |
| **जनसंख्या** | जनसंख्या, 2011 | 2,25,082 |
| | जनसंख्या, 2001 | 1,79,556 |
| | दशकीय वृद्धि दर, 2001-11 (%) | 25.35 |
| | परिवारों की संख्या | 31,528 |
| | औसत परिवार आकार (व्यक्ति) | 7.14 |
| | लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष) | 908 |
| **शिक्षा एवं सामाजिक वर्ग** | कुल साक्षरता दर (%) | 75.92 |
| | पुरुष साक्षरता दर (%) | 84.82 |
| | महिला साक्षरता दर (%) | 66.11 |
| | अनुसूचित जाति का अनुपात (%) | 21.02 |
| **कार्यबल (कुल कामगारों में %)** | कृषक | 31.77 |
| | कृषि मजदूर | 44.45 |
| | पारिवारिक उद्योग | 7.13 |
| | अन्य कामगार | 16.66 |
| **बैंकिंग सुविधा** | बैंक एवं कृषि ऋण समिति वाले बसे हुए गाँव | 12 |
| | बसे हुए गाँवों में इनका अनुपात (%) | 6.06 |

*स्रोत : भारत की जनगणना (2011), जिला जनगणना पुस्तिका, रोहतास; वृद्धि दर, परिवार आकार और अनुपात।*

**International Journal of Advance and Applied Research**
**Peer Reviewed | International Open Access Journal**
**ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/***
***Volume-13, Issue-6 | July – August 2026***

प्रखंड के 76.22 प्रतिशत कामगार सीधे खेती से जुड़े हैं, जिनमें कृषि मजदूरों की संख्या कृषकों से लगभग 1.4 गुना है। खेती से जुड़े एक बड़े वर्ग के पास अपनी जमीन नहीं है। बैंक ऋण के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज सामान्यतः आवश्यक होता है, इसलिए इस वर्ग को संस्थागत ऋण मिलना कठिन हो सकता है।

2011 में 198 बसे हुए गाँवों में से केवल 12 गाँव में बैंक या कृषि ऋण समिति थी। बाकी गाँवों के किसान को ऋण के लिए प्रखंड मुख्यालय या किसी दूसरे गाँव तक जाना पड़ता था। प्रखंड की साक्षरता दर 75.92 प्रतिशत है, पर पुरुष और महिला साक्षरता में लगभग 19 अंक का अंतर है। औसत परिवार का आकार 7.14 व्यक्ति है, जो संयुक्त परिवार और छोटी होती जोत की ओर इशारा करता है।

वर्तमान में प्रखंड में पंजाब नेशनल बैंक की करगहर शाखा के साथ बभनी, बैसपुरा और बरहरी गाँव में भी उसकी शाखा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा भी करगहर में है, जो 1 मई 2025 से बिहार ग्रामीण बैंक का हिस्सा है।

**परिणाम एवं विश्लेषण:**

**1. बिहार में कृषि ऋण प्रवाह की प्रवृत्ति:**

पिछले डेढ़ दशक में बिहार में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कई गुना बढ़ा है। उपलब्ध वर्षों के आँकड़े तालिका 2 में हैं।

**तालिका 2 : बिहार में वार्षिक ऋण योजना एवं कृषि ऋण प्रवाह (₹ करोड़)**

| वर्ष | कुल ACP वितरण | कृषि ऋण वितरण | कृषि का हिस्सा (%) | कृषि लक्ष्य | कृषि उपलब्धि (%) | कुल ACP उपलब्धि (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010-11** | 25,551.56 | 10,667.49 | 41.75 | उ.न. | उ.न. | 69.00 |
| **2011-12** | 32,415.92 | 14,957.91 | 46.14 | उ.न. | उ.न. | 75.00 |
| **2012-13** | 44,521.00 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| **2013-14** | 57,007.00 | 28,770.00 | 50.47 | उ.न. | उ.न. | 91.95 |
| **2017-18** | उ.न. | 42,161.00 | उ.न. | 49,000 | 86.00 | 90.80 |
| **2018-19** | उ.न. | 41,798.00 | उ.न. | 60,000 | 70.70 | 84.30 |
| **2021-22** | 1,60,837.00 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 99.59 |

*उ.न. = उपलब्ध नहीं। स्रोत : एसएलबीसी बिहार (2012, 2014, 2022); बिहार सरकार (2020)।*

2010-11 से 2013-14 के बीच कुल ACP वितरण 30.67 प्रतिशत और कृषि ऋण 39.20 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा। कृषि ऋण कुल ऋण से तेज़ बढ़ा, इसलिए कुल वितरण में कृषि का हिस्सा 41.75 से बढ़कर 50.47 प्रतिशत हो गया। इसी दौर में राज्य में कृषि रोड मैप लागू था और SLBC स्तर पर कृषि ऋण को प्राथमिकता दी जा रही थी, हालाँकि इन आँकड़ों से दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2013-14 के बाद वृद्धि की गति धीमी हुई। 2013-14 में कृषि ऋण 28,770 करोड़ रुपये था और 2017-18 में

42,161 करोड़ रुपये, यानी लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि। 2018-19 में कृषि ऋण प्रवाह घटकर 41,798 करोड़ रुपये रह गया। उसी वर्ष कृषि लक्ष्य 49,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये किया गया था, और उपलब्धि 86.0 प्रतिशत से घटकर 70.7 प्रतिशत पर आ गई (बिहार सरकार, 2020)। लक्ष्य तो बढ़ा, पर बैंकों का वास्तविक वितरण उसी अनुपात में नहीं बढ़ा।

पूरी अवधि को देखें तो 2010-11 से 2018-19 के आठ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह लगभग चार गुना हुआ, जो 18.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर के बराबर है। ये नाममात्र मूल्य हैं। मुद्रास्फीति और खेती की बढ़ती लागत को घटाने पर वास्तविक वृद्धि इससे कम होगी।

हाल के वर्षों में लक्ष्य का आकार काफी बढ़ा है। 2024-25 में राज्य का कुल प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य 2,43,093 करोड़ रुपये था, जिसमें कृषि का हिस्सा 1,11,267 करोड़ रुपये (45.77 प्रतिशत) था (एसएलबीसी बिहार, 2024)। दिसंबर 2024 तक कुल लक्ष्य की 42.49 प्रतिशत और कृषि लक्ष्य की 40.49 प्रतिशत उपलब्धि हुई थी। नाबार्ड ने 2026-27 के लिए राज्य की ऋण संभाव्यता लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये आँकी है, जो 2024-25 से लगभग 7.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बराबर है।

**2. कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका:**

2021-22 में राज्य की कुल ACP उपलब्धि का 77.35 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक बैंकों से आया, और कुल लक्ष्य में भी उनका हिस्सा 79.01 प्रतिशत था (तालिका 3)।

**तालिका 3 : बिहार में बैंक-समूहवार वार्षिक ऋण योजना, 2021-22 (₹ करोड़)**

| बैंक समूह | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि (%) | कुल उपलब्धि में हिस्सा (%) |
|---|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक बैंक | 1,27,604 | 1,24,413 | 97.50 | 77.35 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 23,913 | 21,822 | 91.26 | 13.57 |
| सहकारी बैंक | 4,066 | 10,233 | 251.65 | 6.36 |
| लघु वित्त बैंक | 5,917 | 4,369 | 73.85 | 2.72 |
| **कुल** | **1,61,500** | **1,60,837** | **99.59** | **100.00** |

*स्रोत : एसएलबीसी बिहार (2022), 31.03.2022 की स्थिति; हिस्सेदारी लेखक द्वारा परिकलित।*

राज्य में बैंकों से मिलने वाले हर चार रुपये में से लगभग तीन रुपये वाणिज्यिक बैंक देते हैं, इसलिए ऋण योजना का परिणाम बहुत हद तक इसी बैंक समूह पर निर्भर करता है। कुल ACP में वाणिज्यिक बैंकों की उपलब्धि 97.50 प्रतिशत रही। पर कृषि क्षेत्र की तस्वीर अलग है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि ऋण लक्ष्य की उपलब्धि में वाणिज्यिक बैंक सभी बैंक समूहों में सबसे पीछे थे (बिहार सरकार, 2020)। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों के ऋण का झुकाव कृषि की तुलना में दूसरे क्षेत्रों की ओर अधिक रहा है, हालाँकि 2021-22 के लिए बैंक-समूहवार कृषि आँकड़े उपलब्ध न होने से इसकी सीधी पुष्टि नहीं हो पाती। सहकारी बैंकों का लक्ष्य छोटा था, पर उन्होंने उसकी 251.65 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की।

KCC वितरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के आँकड़े तालिका 4 में हैं।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

**तालिका 4 : बिहार में KCC वितरण एवं NPA के प्रमुख विवरण**

| चर | विवरण | मान |
|---|---|---|
| **नए KCC, 2018-19** | कुल जारी कार्ड | 2.19 लाख |
| | वाणिज्यिक बैंक | 1.55 लाख (70.8%) |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 62.3 हजार (28.4%) |
| | केंद्रीय सहकारी बैंक | 2.0 हजार (0.9%) |
| | लक्ष्य की उपलब्धि (लक्ष्य 10 लाख) | 21.9% |
| **NPA, मार्च 2019 (कोष्ठक में मार्च 2018)** | सभी बैंक | 10.9% |
| | वाणिज्यिक बैंक | 9.1% (8.1%) |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 25.2% (27.5%) |
| | सहकारी बैंक | 7.2% (9.7%) |
| | कृषि क्षेत्र | 19.1% (17.1%) |
| **हाल की स्थिति** | KCC खातों में NPA, 2023-24 | 38.97% |
| | भूमि जोतों में KCC का विस्तार, 2024 (लगभग) | 25% |

*स्रोत : बिहार सरकार (2020); एसएलबीसी बिहार (2024); नाबार्ड (2024) की राज्य ऋण संगोष्ठी में प्रस्तुत आँकड़े।*

2018-19 में 10 लाख नए KCC के लक्ष्य के मुकाबले 2.19 लाख कार्ड जारी हुए, जिनमें 70.8 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों ने दिए। 2024 की राज्य ऋण संगोष्ठी में राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि KCC अब भी लगभग 25 प्रतिशत भूमि जोत तक ही पहुँचा है। यानी राज्य की अधिकांश जोत अभी KCC से नहीं जुड़ी है।

मार्च 2019 में कृषि क्षेत्र का NPA 19.1 प्रतिशत था, जो एक वर्ष पहले 17.1 प्रतिशत था। 2023-24 में KCC खातों का NPA 38.97 प्रतिशत दर्ज हुआ। ऊँचे NPA के कारण बैंक नए कृषि ऋण देने में अधिक सावधानी बरत सकते हैं। बनर्जी एवं अन्य (2012) ने भी ऋण माफी और लक्षित ऋण की नीतियों के बैंकों के व्यवहार पर प्रभाव की चर्चा की है। फिर भी NPA और ऋण वितरण के बीच इस संबंध की पुष्टि के लिए बैंक स्तर के आँकड़े चाहिए।

**3. ऋण-जमा अनुपात और रोहतास जिले की स्थिति:**

ऋण-जमा (CD) अनुपात बताता है कि किसी क्षेत्र से जुटाई गई जमा का कितना भाग उसी क्षेत्र में ऋण के रूप में दिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत को वांछनीय स्तर मानता है।

**तालिका 5 : बिहार का ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)**

| आधार / स्रोत | अवधि | CD अनुपात |
|---|---|---|
| **राज्य वित्त विभाग** | जून 2010 | 33.99 |
| | जून 2011 | 36.51 |
| **SLBC** | 2016-17 | 43.94 |
| | 2022-23 | 55.64 |
| | 2023-24 | 58.71 |
| **आर्थिक सर्वेक्षण (केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)** | 2017-18 | 32.00 |
| | 2018-19 | 34.00 |
| **नाबार्ड** | मार्च 2023 | 53.01 |
| **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25** | 2024-25 | 56.30 |
| **अखिल भारत (तुलना हेतु, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)** | 2018-19 | 78.20 |

*स्रोत : बिहार सरकार (2020, 2025); एसएलबीसी बिहार (2024); नाबार्ड (2024)। टिप्पणी : स्रोतों की गणना-पद्धति अलग-अलग है, इसलिए ये आँकड़े केवल प्रवृत्ति का संकेत देते हैं।*

SLBC के आधार पर बिहार का CD अनुपात 2016-17 में 43.94 प्रतिशत था, जो 2023-24 में 58.71 प्रतिशत तक पहुँचा। फिर भी यह 60 प्रतिशत के स्तर से नीचे है। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुपात 2018-19 में 34 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 78.2 प्रतिशत। उसी वर्ष आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर था, और सितंबर 2019 में बिहार के 16 जिलों में वाणिज्यिक बैंकों का CD अनुपात 40 प्रतिशत से कम था (बिहार सरकार, 2020)। इन आँकड़ों से लगता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास बिहार से आने वाली जमा का बड़ा भाग राज्य में ऋण के रूप में नहीं लौटा।

नाबार्ड के अनुसार मार्च 2023 में राज्य के 38 में से 28 जिलों में प्रति व्यक्ति ऋण 6,000 रुपये से कम था और उन्हें ऋण की कमी वाले जिलों में रखा गया। रोहतास जिले की स्थिति तालिका 6 में है।

**तालिका 6 : रोहतास जिला एवं बिहार की वार्षिक ऋण योजना, 2021-22**

| विवरण | रोहतास | बिहार |
|---|---|---|
| कुल ACP लक्ष्य (₹ करोड़) | 4,371 | 1,61,500 |
| कुल ACP उपलब्धि (₹ करोड़) | 3,945 | 1,60,837 |
| उपलब्धि (%) | 90.26 | 99.59 |
| राज्य की उपलब्धि में हिस्सा (%) | 2.45 | 100.00 |

*स्रोत : एसएलबीसी बिहार (2022); जनसंख्या भारत की जनगणना (2011); अनुपात लेखक द्वारा परिकलित।*

2021-22 में रोहतास ने अपने ACP लक्ष्य का 90.26 प्रतिशत प्राप्त किया, जो राज्य औसत से 9.33 अंक कम है। राज्य की जनसंख्या में जिले का हिस्सा लगभग 2.84 प्रतिशत है, जबकि राज्य की ACP उपलब्धि में उसका हिस्सा 2.45 प्रतिशत रहा। रोहतास सिंचित और उत्पादक जिला है, जहाँ ऋण का उत्पादक उपयोग करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक मानी जा सकती है। ऐसे में उपलब्धि का राज्य औसत से कम रहना इस संभावना की ओर इशारा करता है कि जिले में उत्पादन क्षमता के अनुरूप ऋण नहीं पहुँच रहा। यह केवल एक वर्ष का आँकड़ा है, इसलिए इसे जिले की स्थायी प्रवृत्ति मानने के लिए बहु-वर्षीय आँकड़ों की ज़रूरत होगी।

**4. करगहर प्रखंड की कृषि ऋण संभाव्यता:**

नाबार्ड हर जिले के लिए प्रखंडवार ऋण संभाव्यता का आकलन करता है। यह आकलन उपलब्ध संसाधन, फसल क्षेत्र और बुनियादी ढाँचे के आधार पर बताता है कि किसी क्षेत्र में कितना ऋण उत्पादक रूप से लगाया जा सकता है। करगहर प्रखंड का 2019-20 का आकलन तालिका 7 में है।

**तालिका 7 : करगहर प्रखंड की कृषि ऋण संभाव्यता, 2019-20 (₹ लाख)**

| **चर** | **गतिविधि** | **संभाव्यता** | **समूह में हिस्सा (%)** | **कुल में हिस्सा (%)** |
|---|---|---|---|---|
| फसल ऋण | धान | 17,595 | 70.68 | 61.44 |
| | गेहूँ | 5,951 | 23.90 | 20.78 |
| | आलू | 1,026 | 4.12 | 3.58 |
| | दलहन एवं तिलहन | 323 | 1.30 | 1.13 |
| | **उप-योग** | **24,895** | **100.00** | **86.92** |
| जल संसाधन | उथला नलकूप | 440 | 49.11 | 1.54 |
| | पंपसेट | 416 | 46.43 | 1.45 |
| | लिफ्ट सिंचाई | 40 | 4.46 | 0.14 |
| | **उप-योग** | **896** | **100.00** | **3.13** |
| कृषि यंत्रीकरण | ट्रैक्टर | 1,920 | 67.39 | 6.70 |
| | थ्रेशर | 444 | 15.58 | 1.55 |
| | कंबाइन हार्वेस्टर | 200 | 7.02 | 0.70 |
| | पावर टिलर | 151 | 5.30 | 0.53 |
| | धान रोपाई यंत्र | 76 | 2.67 | 0.27 |
| | रीपर कंबाइन | 58 | 2.04 | 0.20 |
| | **उप-योग** | **2,849** | **100.00** | **9.95** |
| **कुल** | | **28,640** | | **100.00** |

*स्रोत : नाबार्ड (2019), संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2019-20, रोहतास; प्रतिशत लेखक द्वारा परिकलित।*

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

प्रखंड की कुल सूचीबद्ध ऋण संभाव्यता 286.40 करोड़ रुपये है। इसमें फसल ऋण का हिस्सा 86.92 प्रतिशत है, जबकि सिंचाई और यंत्रीकरण जैसे निवेश ऋण का हिस्सा मिलाकर 13.08 प्रतिशत है। भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) ने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण में अल्पकालिक ऋण के अधिक हिस्से की जो बात कही थी, करगहर की संभाव्यता में भी वही झुकाव दिखाई देता है।

फसल ऋण में धान का हिस्सा 70.68 प्रतिशत है, और गेहूँ जोड़ने पर यह 94.58 प्रतिशत हो जाता है। दलहन और तिलहन का हिस्सा केवल 1.30 प्रतिशत है। सोन नहर क्षेत्र में धान और गेहूँ की प्रधानता को देखते हुए यह स्वाभाविक है। इसका एक व्यावहारिक पक्ष यह है कि प्रखंड में ऋण की माँग खरीफ रोपाई और रबी बुआई के कुछ महीनों में केंद्रित रहती है। इस समय पर ऋण न मिलने की स्थिति में किसान के अनौपचारिक स्रोत की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है।

प्रखंड में प्रति परिवार फसल ऋण संभाव्यता लगभग 78,962 रुपये और प्रति बसे हुए गाँव कुल संभाव्यता 144.65 लाख रुपये बैठती है। धान और गेहूँ के भौतिक लक्ष्य क्रमशः 18,000 और 9,000 इकाई रखे गए, जिससे प्रति इकाई ऋण धान में लगभग 0.98 लाख और गेहूँ में 0.66 लाख रुपये आता है। इसके मुकाबले, 2011 में केवल 12 गाँवों में बैंक या ऋण समिति थी (तालिका 1)। संभाव्यता और गाँव स्तर की बैंकिंग सुविधा के बीच यह अंतर प्रखंड की एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आता है।

कृषि यंत्रीकरण की संभाव्यता में ट्रैक्टर का हिस्सा 67.39 प्रतिशत है, जबकि छोटे किसान के लिए अधिक उपयोगी पावर टिलर और धान रोपाई यंत्र का हिस्सा कम है। इससे यह संभावना बनती है कि निवेश ऋण का लाभ भी अपेक्षाकृत बड़े किसानों तक अधिक पहुँचे। गोलाइत (2007) ने संस्थागत ऋण के समृद्ध किसानों की ओर झुकाव की जो बात कही थी, यह आँकड़ा उससे मेल खाता है, हालाँकि वास्तविक ऋणियों की जोत के आँकड़ों के बिना इसे निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

**कृषि ऋण की प्रमुख समस्याएँ:**

**ऋण तक पहुँच और बैंकिंग सुविधा:** करगहर में 44.45 प्रतिशत कामगार कृषि मजदूर हैं। KCC और फसल ऋण के लिए भूमि स्वामित्व का प्रमाण सामान्यतः माँगा जाता है, इसलिए बटाईदार और भूमिहीन किसान के लिए बैंक से ऋण लेना कठिन हो सकता है। 2011 में प्रखंड के केवल 6 प्रतिशत बसे हुए गाँवों में बैंक या ऋण समिति थी। बैंक मित्र और ग्राहक सेवा केंद्र से लेन-देन आसान हुआ है, पर ऋण स्वीकृति के लिए किसान को अब भी शाखा जाना पड़ता है। दस्तावेज़, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र और बार-बार शाखा आने में लगने वाला समय छोटे किसान के लिए अतिरिक्त लागत है।

**ऋण की संरचना:** प्रखंड की ऋण संभाव्यता का लगभग 87 प्रतिशत भाग फसल ऋण का है, और फसल ऋण में भी धान और गेहूँ का हिस्सा 94.58 प्रतिशत है। सिंचाई, भंडारण और यंत्रीकरण जैसे निवेश ऋण का हिस्सा कम होने से दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ाने की गुंजाइश सीमित रहती है। दो फसलों पर अधिक निर्भरता के कारण किसी एक मौसम में फसल खराब होने का असर पूरे प्रखंड की पुनर्भुगतान क्षमता पर पड़ सकता है।

**KCC, कृषि ऋण लक्ष्य और NPA:** राज्य स्तर पर लगभग एक-चौथाई जोत ही KCC से जुड़ी है, और 2018-19 में नए KCC के लक्ष्य की 21.9 प्रतिशत उपलब्धि हुई। कुल ACP

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

लक्ष्य लगभग पूरा करने के बावजूद कृषि ऋण लक्ष्य की उपलब्धि में वाणिज्यिक बैंक पीछे रहे। कृषि क्षेत्र का 19.1 प्रतिशत और KCC खातों का लगभग 39 प्रतिशत NPA बैंकों के लिए ऋण जोखिम बढ़ाता है, जिसका असर नए ऋण वितरण पर पड़ सकता है।

**जमा और ऋण का असंतुलन:** राज्य और जिले का CD अनुपात 60 प्रतिशत से कम है, और 2021-22 में राज्य की ACP उपलब्धि में रोहतास का हिस्सा उसकी जनसंख्या के हिस्से से कम रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि स्थानीय बचत का एक बड़ा भाग स्थानीय खेती में वापस नहीं लग रहा है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव:**

बिहार में संस्थागत कृषि ऋण 2010-11 से 2018-19 के बीच लगभग चार गुना बढ़ा, पर इसकी गति एक जैसी नहीं रही। 2013-14 तक तेज़ विस्तार के बाद वृद्धि धीमी हुई, और 2018-19 में कृषि लक्ष्य की उपलब्धि 70.7 प्रतिशत पर आ गई। राज्य की ACP उपलब्धि में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा लगभग 77 प्रतिशत है, इसलिए ऋण व्यवस्था का मुख्य माध्यम यही बैंक समूह है। फिर भी उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कृषि ऋण लक्ष्य की उपलब्धि में वाणिज्यिक बैंक दूसरे बैंक समूहों से पीछे रहे, KCC का विस्तार लक्ष्य से काफी कम रहा और कृषि क्षेत्र का NPA ज्यादा रहा।

रोहतास उत्पादक जिला होने के बावजूद 2021-22 में ACP उपलब्धि में राज्य औसत से पीछे रहा। करगहर प्रखंड में खेती पर निर्भरता अधिक है, भूमिहीन कृषि मजदूरों का अनुपात बड़ा है और गाँव स्तर पर बैंकिंग सुविधा सीमित रही है। प्रखंड की लगभग 286 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता का बड़ा भाग धान और गेहूँ के फसल ऋण में है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि करगहर में वाणिज्यिक बैंकों के सामने ऋण की मात्रा के साथ-साथ उसकी पहुँच, संरचना और समय पर उपलब्धता का प्रश्न भी है।

इस निष्कर्ष के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :

1. **KCC संतृप्ति अभियान :** प्रखंड स्तर पर पात्र किसानों, विशेषकर PM-किसान लाभार्थियों, को KCC से जोड़ने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया जाए और जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति इसकी निगरानी करे।
2. **बटाईदार किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था :** संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल का विस्तार हो और बटाईदारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापित प्रमाणपत्र की व्यवस्था पर विचार किया जाए।
3. **बिना जमानत ऋण सीमा की जानकारी :** ₹2 लाख तक बिना जमानत ऋण के प्रावधान की जानकारी शाखा और गाँव स्तर पर दी जाए।
4. **निवेश ऋण पर ध्यान :** सौर पंप, सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण और छोटे कृषि यंत्रों के लिए लक्षित ऋण योजना चलाई जाए।
5. **फसल विविधीकरण से जुड़ा ऋण :** दलहन, तिलहन, सब्जी और पशुपालन के लिए अलग ऋण उत्पाद विकसित किए जाएँ।
6. **गाँव तक ऋण सेवा :** बैंक मित्र और डिजिटल KCC प्रक्रिया के माध्यम से ऋण आवेदन और स्वीकृति की सुविधा गाँव तक पहुँचाई जाए।
7. **जोखिम प्रबंधन :** फसल बीमा को KCC से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए और समय पर ऋण चुकाने वाले किसान को प्रोत्साहन दिया जाए।

8. **प्रखंड स्तर के आँकड़ों का प्रकाशन :** अग्रणी जिला प्रबंधक प्रखंडवार ऋण वितरण, KCC और NPA के आँकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक करें।

**अध्ययन की सीमाएँ:**

प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों तथा संबंधित सरकारी एवं संस्थागत स्रोतों में प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। करगहर प्रखंड के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित ऋण संभाव्यता को कृषि क्षेत्र में अनुमानित ऋण आवश्यकता के आधार के रूप में लिया गया है।, जबकि राज्य एवं जिला स्तर के आँकड़ों का उपयोग व्यापक वित्तीय एवं कृषि-ऋण परिदृश्य को संदर्भित करने के लिए किया गया है। ऋण-जमा अनुपात के संबंध में विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रयुक्त गणना-पद्धति में अंतर को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या संबंधित आँकड़ों की समय-अवधि, भौगोलिक स्तर तथा प्रयुक्त सांख्यिकीय आधार के संदर्भ में की जानी चाहिए।

**संदर्भ सूची:**

1. एसएलबीसी बिहार (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति). (2012). *40वीं बैठक का कार्यवृत्त*. पटना.
2. एसएलबीसी बिहार (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति). (2014). *48वीं बैठक की कार्यसूची*. पटना.
3. एसएलबीसी बिहार (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति). (2018). *63वीं बैठक का कार्यवृत्त*. पटना.
4. एसएलबीसी बिहार (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति). (2022). *81वीं बैठक की कार्यसूची पुस्तिका* (31.03.2022 की स्थिति). पटना.
5. एसएलबीसी बिहार (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति). (2024). *88वीं एवं 89वीं संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त* (14.06.2024 को आयोजित). पटना.
6. कुमार, ए., यादव, सी., जी, एस., कुमार, एस. एवं चौहान, एस. (2011). भारतीय कृषि ऋण बाज़ार में वित्तीय नवाचार : किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति एवं प्रदर्शन [Financial innovation in Indian agricultural credit market: Progress and performance of Kisan Credit Card]. *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 66(3), 418–428.
7. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग. (2019). *कृषि गणना 2015-16 : क्रियाशील जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर अखिल भारतीय प्रतिवेदन*. भारत सरकार, नई दिल्ली.
8. गोलाइत, आर. (2007). भारत में कृषि ऋण के वर्तमान मुद्दे : एक आकलन [Current issues in agriculture credit in India: An assessment]. *रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑकेज़नल पेपर्स*, 28(1), 79–99.
9. दास, ए., सेनापति, एम. एवं जॉन, जे. (2009). कृषि उत्पादन पर कृषि ऋण का प्रभाव : भारत का एक अनुभवजन्य विश्लेषण [Impact of agricultural credit on agriculture production: An empirical analysis in India]. *रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑकेज़नल पेपर्स*, 30(2), 75–107.
10. नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक). (2019). *संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2019-20 : रोहतास जिला*. बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना.

11. नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक). (2024). *राज्य फोकस पेपर 2024-25 : बिहार*. बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना.
12. पत्र सूचना कार्यालय. (2024). *भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिना जमानत कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति ऋणी की*. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
13. बनर्जी, एस., गंगोपाध्याय, के., गुप्ता, पी. एवं मल्लिक, एस. (2012). *बिहार राज्य में वित्तीय मध्यस्थता एवं आर्थिक विकास : एक जिला स्तरीय विश्लेषण* [Financial intermediation and economic development in the state of Bihar, India: A district-level analysis] (कार्य पत्र F-34010-IND-1). इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, लंदन.
14. बर्गेस, आर. एवं पांडे, आर. (2005). क्या ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण हैं? भारत के सामाजिक बैंकिंग प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य [Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment]. *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 95(3), 780–795.
15. बिहार सरकार. (2020). *आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20*. वित्त विभाग, पटना.
16. बिहार सरकार. (2025). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25*. वित्त विभाग, पटना.
17. भारत की जनगणना. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका : रोहतास* (भाग क एवं भाग ख). जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना.
18. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2019). *कृषि ऋण की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्य समूह का प्रतिवेदन*. मुंबई.
19. मोहन, आर. (2006). भारत में कृषि ऋण : स्थिति, मुद्दे एवं भावी कार्यसूची [Agricultural credit in India: Status, issues and future agenda]. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 41(11), 1013–1023.
20. रामचंद्रन, वी. के. एवं स्वामीनाथन, एम. (संपा.). (2005). *भारत में वित्तीय उदारीकरण एवं ग्रामीण ऋण* [Financial liberalization and rural credit in India]. तूलिका बुक्स, नई दिल्ली.